— 320 —

झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-III-उ0यो0वि0-144/2018-19/ 67 रा0(वि0भा0)/मत्स्य, राँची, दिनांक 08/03/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिवोल्यूशन योजनांतर्गत देवघर तथा जमशेदपुर जिले में दो रिटेल फिश मार्केट निर्माण हेतु मो0 399.081 लाख (तीन करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार एक सौ) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत की गई केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिवोल्यूशन योजना (50:50) अंतर्गत मो0 399.081 लाख (तीन करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार एक सौ) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर देवघर तथा जमशेदपुर जिले में दो खुदरा मछली बाजारों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-31013/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 30.08.2018 द्वारा राज्य में दो खुदरा मछली बाजारों (प्रति बाजार मो0 200.00 लाख रु0 की इकाई लागत) के निर्माण हेतु योजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-31013/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 30.08.2018 द्वारा प्रथम चरण में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की मो0 205.395 लाख रु0 विमुक्त किये गये हैं। बाजार निर्माण की इकाई लागत में राज्य तथा केन्द्र सरकार का अंशदान 50:50 होगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

(राशि लाख रू0 में)

माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध	निर्गत स्वीकृत्यादेश की राशि	द्वितीय अनुपूरक आगणन के पश्चात अवशेष उपबंध	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) **53 C440500101740545**	24.00	24.00	100.00	99.978

319

2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) **53 S440500101740545**	76.00	16.00	100.00	99.978
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) **53 C440500796740545**	24.00	24.00	100.00	99.5625
4	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) **53 S440500796740545**	76.00	16.00	100.00	99.5625
	योग :	200.00	80.00	400.00	399.081

मो0 तीन करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार एक सौ रु0 मात्र।

4. खुदरा मछली बाजार निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नक्शा एवं प्राक्कलन के आलोक में देवघर जिले में प्रस्तावित बाजार निर्माण की लागत मो0 1,99,95,600/-रु0 है। योजना प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 12.02.2019 को प्रदान की गई है तथा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, देवघर के पत्रांक 201 (अनु0) दिनांक 12.02.2019 द्वारा संसूचित है।

इसीप्रकार पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिले में प्रस्तावित बाजार निर्माण की लागत मो0 1,99,12,500/-रु0 है। योजना प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 20.02. 2019 को प्रदान की गई है तथा मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संयुक्त कार्यालय, भवन के पत्रांक 192/अनु0 दिनांक 20.02.2019 द्वारा संसूचित है।

5. खुदरा मत्स्य बाजारों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि के अनुसार निम्न बजट शीर्ष से निकासी एवं योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि
1	2	3
	खुदरा मत्स्य बाजार, देवघर हेतु	
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) **53 C440500101740545**	99.978
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) **53 S440500101740545**	99.978
	खुदरा मत्स्य बाजार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर हेतु	
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) **53 C440500796740545**	99.5625
4	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) **53 S440500796740545**	99.5625
	योग :	399.081

मो0 तीन करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार एक सौ रु0 मात्र।

5. उपर्युक्त कंडिका- 3 में अंकित विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य मद की बजट में उपबंधित राशि मो0 400.00 लाख रु0 मात्र में से कुल मो0 399.081 लाख रु0 मात्र की इकाई लागत से देवघर तथा जमशेदपुर जिले में नये खुदरा मत्स्य बाजार के निर्माण हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम द्वारा संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता/अन्य सक्षम प्राधिकार को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

6. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

उल्लिखित दोनों निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना - ब्लू रेभोल्यूएशन योजना से ही किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जायेगा। स्थल संबंधी सभी अभिलेखीय कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी। निदेशक मत्स्य द्वारा राशि के उपावंटन देने में इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि सभी आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई करने के उपरान्त ही राशि का हस्तांतरण/उपावंटन किया जाएगा।

7. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

8. स्वीकृत राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

11. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश का अनुपात 50:50 है।

12. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट मो0 1600.00 लाख में से राज्यांश एवं केन्द्रांश मिलाकर कुल मो0 1558.37 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

13. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है एवं राशि का समायोजन लंबित नहीं है। इस योजना का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक 2348 दिनांक 14.12.2018 द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

14. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर सम्पर्क में रहकर निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप पूर्ण करायेंगे।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

217

ज्ञापांक 67 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 67 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम तथा मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, देवघर/पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 67 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019
प्रतिलिपि : योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त तथा मत्स्य निदेशालय के अधीन सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 67 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019
प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/19
सरकार के सचिव